न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी :– श्री वीरेन्द्रसिंह यादव आर0ए0एस0
प्रार्थना पत्र सं0 2/18
निर्णय दिनांकः– 10.08.2018

1. लालीदेवी पत्नि रूघाराम
2. गीतादेवी पत्नि गणेश

समस्त जाति अहीर नि0 धोल्या का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. रामनिवास पुत्र नारायण
2. श्रीकृष्ण पुत्र कजोड़
3. मालीराम पुत्र कजोड़
4. रामचन्द पुत्र कजोड़
5. गिरधारी पुत्र आशा
6. मोहन पुत्र आशा
7. नानू पुत्र आशा
8. कन्हैयालाल पुत्र आशा
9. लक्ष्मीदेवी पत्नि रामनिवास

समस्त जाति अहीर नि0 धोल्या का बास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर

10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0

अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 128 लैण्ड रेवेन्यू ऐक्ट</u>

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीयागण की कब्जें काश्त व खातेदारी की आराजी ख0नं0 1329 रकबा 3 बीघा 8 विस्वा, ख0नं0 1330 रकबा 6 बीघा 7 विस्वा किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 15 विस्वा वाके ग्राम धोल्या का बास प0ह0 बाघावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 में स्थित है उक्त आराजीयात जो प्रार्थीयागण की खातेदारी में अंकित है पर प्रार्थीयागण अपने हिस्से अनुसार काबिज होकर भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही है। प्रार्थीयागण की आराजी के नजदीक अप्रार्थी सं0 1 लगा0 9 की खातेदारी की आराजीयात है तथा उक्त अप्रार्थी सं0 1 लगा0 9 नजदीकी आराजी के खातेदार आयेदिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न कर झगड़ा फिसाद पर आमदा रहे है तथा आराजी की सीमा सम्बन्धित अनावश्यक विवाद उत्पन्न कर रखा है एवं प्रार्थीयागण की भूमि को दबाने की नियत से आयेदिन सीमा का विवाद करते है प्रार्थीयागण की भूमि पर अनाधिकृत अतिक्रमण कर प्रार्थीयागण की भूमि को अपनी आराजीयात में मिलाकर कब्जा करंने की फिराक

उप खण्ड अ...
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

में रहती है। प्रार्थीयागण ने अपनी खातेदारी की आराजीयात खं0नं0 1329 व 1330 की सीमा का ज्ञान करवानें हेतु नियमानुसार अप्रार्थी सं0 10 के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अप्रार्थी सं0 10 ने हल्का पटवारी को आदेश क्रंमाक एल0आर0/17/2249 दिनांक 22.05.17 को प्रार्थीयागण की आराजी का सीमाज्ञान करने का आदेश हल्का पटवारी को प्रदान किया जिस पर हल्का पटवारी ने दिनांक 02.06.17 को मौके पर जाकर प्रार्थीयागण की आराजी का सीमाज्ञान कर रिपोर्ट तैयार की। जिसकी सत्यापित प्रति संलग्न है। हल्का पटवारी ने प्रार्थीयागण की उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर उपरोक्त रिपोर्ट तैयार कर अप्रार्थी सं0 10 के कार्यालय में प्रस्तुत की जिसके पश्चात् भी प्रार्थीयागण की आराजी की सीमा सम्बन्धित विवाद उत्पन्न हो रखा है। इस कारण प्रार्थीयागण मुताबिक फर्द रिपोर्ट हल्का पटवारी दिनांक 02.06.17 के अनुसार प्रार्थीयागण अपनी उक्त आराजी के पत्थरगढ़ी करवाकर उसके आधार पर तारबन्दी करवाना चाहती है जिससे प्रार्थीयागण के कब्जें काश्त में कोई व्यवधान उत्पन्न हीं हो सके ओर सीमा सम्बन्धित कोई विवाद भविष्य में उत्पन्न नहीं हो। इस सम्बन्ध में प्रार्थीयागण ने उक्त रिपोर्ट के आधार पर अप्रार्थी सं0 10 के समक्ष दिनांक 29.11.17 को जाकर पत्थरगढ़ी के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया जिस पर अप्रार्थी सं0 10 ने सक्षम न्यायालय से आदेश लाने हेतु कहा जिस पर प्रार्थीयागण ने अप्रार्थी सं0 10 के कार्यालय से सीमाज्ञान की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रतिलिपि दिनांक 30.11.17 को प्राप्त की इसलिए उक्त सीमाज्ञान के मुताबिक उक्त आराजी की पत्थरगढ़ी करवानें हेतु आयेदिन अप्रार्थी सं0 1 लगा0 9 द्वारा सीमा विवाद करने व दिनांक 13.12.17 को पुनः सीमा विवाद होने पर यह प्रा0पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया। अप्रार्थी सं0 1, 2, 9 की ओर से वकील श्री अवधेश कुमार पारीक ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी सं0 3 लगा0 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्व एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी सं0 1, 2 व 9 की ओर से जवाब प्रा0पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 10.08.18 को पत्रावली पेश हुयी।

न्यायालय ने वकील प्रार्थीयागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया प्रार्थीयागण ने अपनी आराजी की पत्थर गढ़ी बाबत यह

उपखण्ड अधिकारी
सोंमर लेक

Scanned by CamScanner

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थीयागण ने अपनी आराजी का दिनांक 02.06.17 को निशानदेही सीनाझान करवा रखा है जिसकी फर्द मौका सीनाझान पत्रावली में संलग्न है। ऐसी स्थिति में न्यायालय मुताबिक सीनाझान प्रार्थीयागण की आराजी की पत्थरगढ़ी की जाना न्यायोचित समझता है।

निर्णय

अतः प्रार्थीयाण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थीयागण की आराजी खं0नं0 1329 रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा, खं0नं0 1330 रकबा 6 बीघा 7 बिस्वा किता 2 कुल रकबा 9 बीघा 15 बिस्वा वाके ग्राम बोल्या का बास प0ह0 बाघावास तह0 कि0रेनवाल जिला जयपुर राज0 की मुताबिक सीनाझान रिपोर्ट दिनांक 02.06.17 के तहसीलदार कि0रेनवाल को 500/- की फीस पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु मौका कमिश्नर नियुक्त कर पत्थरगढ़ी किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार कि0रेनवाल को उक्त निर्णय की पालना की तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.08.18 को खुले न्यायालय में टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक